



पत्रांक 2482/वि०न०वि०म०-प्रथम/गा०बाद

दिनांक 23-12-2023

विषय:-विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
पंजाब केसरी, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
वीर अर्जुन, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनांक 24.12.2023 तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बड़ा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छांपें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० का मोनोग्राम एवं सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनांक भी छोटे से छोटे टाइप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे-बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई-निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई-निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियाँ मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
 3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8-10 प्वाइंट टाइप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन भुगतान नहीं किया जायेगा।
 5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्ब इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।
- विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्बर अवश्य दें।

संलग्नक:-विज्ञापन सामग्री

भवदीय

Supply Officer
Electricity Urban (महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता

पत्रांक : 2482/वि०न०वि०मण्डल-प्रथम/गा०बाद

दिनांक:- 23-12-2023

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि०), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ। (ई-मेल:-propvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

Supply Officer
Electricity Urban (महफूज आलम)
अधीक्षण अभियन्ता



पश्चिममौचल विद्युत वितरण निगम लि०
अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:- 48/2023-24/EUDC-1/GZB

धरोहर राशि :-रु०-10000.00

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-नवम, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना में स्वीकृत प्रकल्पों के अनुसार 11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन पर अवमुक्त किये जाने वाले विभिन्न संयोजन, भार बढ़वाने (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण एवं पोल शिफ्टिंग इत्यादि सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 09.01.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 09.01.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेंगी।

अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा की अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि को <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाईट www.pvvnl.org पर देखा जा सकता है।

Superintending
Electricity Urban Distribution Circle
अधीक्षण अभियन्ता
Ghazipur

विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद

“राष्ट्रहित में बिजली बचाये”

हाईवे पर लगाए जाएं साईन बोर्ड

मेरठ (पंजाब केसरी, रीशु अप्रवाबल) आयुक्त सभागार में मेरठ व गाजियाबाद सभागा की मण्डलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुये आयुक्त सेल्वा कुमार जी ने शहर में ई-रिवशा जौन बनाने, ओवर स्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाने वालों तथा स्टैंट ड्राईविंग करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हाईवे पर स्थानों को चिन्हित कर साईन बोर्ड तथा वाहनो पर रिफ्लेक्टर लगाये जाये। संबंधित अधिकारी द्वारा बताया गया कि रिफ्लेक्टर लगाये जाने का कार्य लगातार किया जा रहा

है। उन्होंने कहा कि निराश्रित गौवंश सड़क पर न घूमे इसके लिए अभियान चलाया जाये। बैठक में सड़क दुर्घटना की स्थिति में एम्बुलेंस रिस्पॉन्स टाईम, संभाग स्तर पर दुर्घटनाओं की समीक्षा, चिन्हित ब्लैक स्पॉट एवं सुधार हेतु कृत कार्यवाही, सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न अपराधों (सीट बेल्ट, हेलमेट, नशे की हालत में किये गये चालान आदि) में प्रवर्तन दलों द्वारा कृत कार्यवाही, लाईसेंस निलंबन की कार्यवाही, जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत कृत कार्यवाही, मेडिकल एक्शन प्लान/एम्बुलेंस/ड्रामा केयर सेंटर

की स्थिति की समीक्षा की गई।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना सूचना सं. यॉ./ 246/1/15/23-24/ओटी-34
मुख्य कारखाना प्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे इन्जिनगर द्वारा भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए निविदा पत्र में अंकित योग्यता मापदंडों के अनुसार ई-निविदाई आमंत्रित की जाती है।
1. कार्य का संक्षिप्त विवरण: 02 वर्ष की अवधि के लिए मैकेनिकल वर्कशॉप, इन्जिनगर में 1042 नंबर डैगनों में टिवन पाइप एयर ब्रेक सिस्टम का रेगुलरिटी का कार्य (स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार) अनुमानित मूल्य (₹0 में): ₹ 23148844.78 (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख अठ्ठातीस हजार छह सौ चौबीसों और अठ्ठातर पैसे मात्र) बिड रिजॉल्यूटी (₹0 में): ₹ 285800.00 (दो लाख पैंसठ हजार आठ सौ मात्र) निविदा प्रपत्र का मूल्य (₹0): शून्य कार्य अवधि: दो वर्ष 24 माह निविदा खुलने की तिथि व समय: 15.01.2024 15:30 बजे नोट :- 1. उपरोक्त ई-निविदा का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र सहित दिनांक 23/12/2023 को समय 17:00 बजे से वेबसाइट www.iress.gov.in पर टेंडर खुले की तिथि 15/01/2024 को 15:00 बजे तक उपलब्ध है। 2. उपरोक्त निविदा में ई-बिड के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में बिड स्वीकार नहीं की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु बैंडों को चाहिए कि वो अपने आपको IT Act 2000 के अंतर्गत CA द्वारा जारी सैल्स-III डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ वेबसाइट पर पंजीकृत कराएं। 3. निविदा की दरें केवल डिजिटल हस्ताक्षरित ऑनलाईन दर्ज करने पर ही विचारणीय हैं। दरें तथा अन्य वित्तीय प्रमाण अन्य किसी भी टेंडर डेड लाइन पर यदि सलान हैं तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा तथा सीधी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा। 4. ई-निविदा हेतु बिड रिजॉल्यूटी का भुगतान निविदा प्रपत्र के अनुसार स्वीकार की जायेगी।
उपभूमी/उपसादन, यात्रिक कारखाना, मुजाफि/वाटिक-111 इन्जिनगर ट्रेनों में बीडी/सिस्टम न गिये

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक अवकाश में भी खुले रहेंगे कैश काउंटर

मेरठ, (पंजाब केसरी): धरेलू, वाणिज्यिक, निजी नलकूप, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं हेतु लागू एकमुश्त समाधान योजना 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त हो रही है। एकमुश्त समाधान योजना में उपरोक्त श्रेणी के बिजली बिल में लगे सरचार्ज पर छूट पाने का यह अन्तिम अवसर है। बकायेदार विद्युत उपभोक्ता 31 दिसम्बर 2023 तक पंजीकरण कराकर अधिकतम छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपद मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, हापुड, बुलन्दशहर, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, सम्भल, रामपुर एवं अमरोहा के सभी उपखण्ड/खण्ड/मण्डल/क्षेत्रीय कार्यालय एवं बिजलीघरों के कैश काउंटर एवं डिस्कॉम मुख्यालय 24.12.2023 (रविवार) एवं 25.12.2023 (क्रिसमस) के उक्त दोनों सार्वजनिक अवकाश के दिन भी सामान्य दिनों के भांति खुले रहेंगे जिससे कि उपभोक्ता आसानी से अपना बिजली का बिल जमा करा सकें और अधिक से अधिक उपभोक्ता ओटीएस योजना से लाभान्वित हो सकें।

सार्वजनिक सूचना

पुनर्वास सार्वजनिक सूचना का सूचित किया जाता है कि जो दलपत कुमार ने स्वयं की मेरठ एडिक्वाइज्ड इन्फोर्मेट डीप्लॉयमेंट, 14, स्पोर्ट्स कॉलोनी, सूबु कुण्ड पार्क के पास गांधी अग्रय, विना-मेरठ का अप्रत्यक्ष हस्त सौम्यी विप्रेक्षन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण हेतु निगमित शुल्क व आलेख प्रस्तुत किये हैं। आलेखों के अनुसार सर्वोच्च न्याय न्याय विभाग गुवाहाटी, जून प्रकाश मार्ग पश्चिम, विमानतल गोल कोषाध्यक्ष, नौकर कुमारी न्याय संगठन मंत्री, अग्रोह कुमारी व निमित्त गोपाल दत्तम्य दशाये गये हैं। यदि किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से पंजीकरण के विरुद्ध आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अपने आपत्ति प्रमाणों सहित प्रस्तुत कर सकता है। निगमित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पत्र पर विचार किया जाना सम्भव न होगा और गुण योग्य के आधार पर संपत्ति के पंजीकरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जायेगी। निहित हो कि उक्त नोटिस सार्वजनिक रजिस्ट्रार की धारा-3 (1) के परन्तु के अन्तर्गत जारी की जा रही है। जिला से, हस्ता/चिन्ती रजिस्ट्रार, फर्मा, सोलादीन एवं चिन्त, विकास विहार, मोहनपुर, मेरठ

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना

ई-निविदा संख्या:- 48/2023-24/EUDC-1/GZB

धरोहर राशि :- ₹. 1,00,000.00

विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-नवम, गा.बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना में स्वीकृत प्रकल्पों के अनुसार 11 के.वी. एवं एल.टी. लाईन पर अवमुक्त किये जाने वाले विभिन्न संयोजन, भार बढ़वाने (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण एवं पोल रिफिटिंग इत्यादि सम्बन्धित कार्य हेतु आमंत्रित की जाती है, जो दिनांक 09.01.2024 को दोपहर 12:00 बजे तक भरी जा सकती है एवं 09.01.2024 को 16:00 बजे व उसके पश्चात खोली जायेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता को किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार होगा। निविदा की अर्हता सम्बन्धी विस्तृत सूचना, तिथि, धरोहर राशि, संशोधन/विस्तार तिथि आदि को <https://etender.up.nic.in> एवं निगम की वेबसाइट www.pvvn.org पर देखा जा सकता है। हस्ता./अधीक्षक अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद। "राष्ट्रपति में बिजली बचाये" पत्रांक:- 2482, दिनांक:-23-12-2023

Government Himachal Pradesh, Jal Shakti Vibhag

"Notice Inviting e-TENDERS"

E. E., Jal Shakti Division No. 1 Una

Telephone No. : 01978-226060, E-mail : eeiph1una@gmail.com

Una invites online tender on behalf of Governor of Himachal Pradesh

The Executive Engineer, Jal Shakti Division No. 1 Una invites online process-

Sr. No.	Name of work.	Estimated Cost.	Earnest Money.	Cost of Tender	Time	Class in which cont./firm eligible
		Rs.	Rs.	Rs.	Twelve months	Class "A" "B"
1.	C/O Separate Water Supply Scheme for the Balliwal Village of Haroli Constituency Distt. Una (HP) (SH) Construction of 8" Sand Filter, One No. Collection Tank 5000 Ltrs capacity, P/L GMSBW pipe for Rising Main and Supply and Erection of Submersible & Centrifugal Pumping Machinery with allied accessories)	2,51,82,741/-	2,84,327/-	2500/-		

- Last date of physical / online submission of Earnest Money deposit and cost of tender documents etc on 01-01-2024 upto 05:00 PM
- Last date of e-tendering upto 01-01-2024 at 05:00 PM and the same will be opened on the day on 02-01-2024 at 11:00 AM. The tender forms and other detailed conditions can be downloaded from the <http://hptenders.gov.in>

HIM SUCHNA AND JAN SAMPARK-

Executive Engineer,
Jal Shakti Division No-1 Una.

विस में 11.00 बजे से अपराह्न की जा सकती है। निविदा प्रपत्र बजे तक जमा की जा सकती है। कार्यालय में बिड खोली जायेगी। प्रपत्र जमा कर सकते हैं।
-हस्ताक्षर/-,
भवदीय
(अधीक्षक), अधिशासी अभियन्ता,
अग्राम, प्रखण्ड गौतमबुद्धनगर
मो.नं.-9654455415

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता (वि०), गा०बाद क्षेत्र गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अधीन विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-नवम, गा०बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना में स्वीकृत प्राक्कलनों के अनुसार 11 के०वी० एवं एल०टी० लाईन पर अवमुक्त किये जाने वाले विभिन्न संयोजन, भार बढ़वाने (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण एवं पोल शिफ्टिंग इत्यादि सम्बन्धित समस्त कार्य बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं० 3138 दि० 22.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशन की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत रू० 10.00 लाख (जी०एस०टी० अतिरिक्त) आने की सम्भावना है।

अल्पकालीन
ई-निविदा
प्रकाशन हेतु
अनुमोदित

CHIEF ENGINEER (D)
GHAZIABAD ZONE
GHAZIABAD

(सहस्रपात्र संलग्न)
Superintendent
Electricity
वि० न० वि० म० प्रथम, गा०बाद



पत्रांक- प०वि०वि०नि०लि०/तक०/प्र.अनु.-5(नो)/(20)

दिनांक : 22.12.2023

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद के पत्रांक 10719/गु०अ०गा०दे०/मा०बा०/सी०/अनु० दिनांक 26.10.2023 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 1829/वि०न०वि०म०-प्रथम, गाजियाबाद दिनांक 05.10.2023 द्वारा विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-नवम्, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में स्वीकृत प्राकलनों के अनुसार 11 केवी एवं एल०टी० लाईन पर अवमुक्त किये जाने वाले विभिन्न राशियों, गार वडोयन (क्षमतावृद्धि), विद्युतीकरण एवं पोल शिफ्टिंग इत्यादि सम्बन्धित समस्त कार्य रनिंग ई-निविदा द्वारा जमा योजना मद में बाह्य एजेंसी के माध्यम से कराने हेतु धनराशि रु 10.00 लाख एवं जी०एस०टी० अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति निदेशक (तक०) महोदय, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधोलिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है:-

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान पूर्ण जमा योजना मद में उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
2. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जीएसटी सहित) प्राक्कलन में प्रावधानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।
3. उक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्योत्तर प्राक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
5. 11 के०वी० अथवा 33 केवी लाईन शिफ्टिंग का कार्य में तकनीकी/प्रशासनिक स्वीकृति राक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा।
6. उप०प्र० पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10-कार्य/चौदह-पा०का०लि०/2019-3-के/2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस कार्य को रेस्पो द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करके कम से कम लागत में कराया जायेगा।
9. दरों की औचित्यता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता (वि०) की होगी।
11. कार्य कराये जाने पूर्व प्राक्कलन की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी०एस०टी० सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशारी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
12. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्योत्तर प्राक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित की जाएगी। इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त निगम के assets में सम्मिलित की जायेगी।
13. उप०प्र० पावर कारपोरेशन के पत्रांक 4512 चौदह/पाकालि/2017-2000-टी-सी०-2017 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार डिपोजिट के कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से संभव होने की स्वीकृति अगले उच्च अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
14. विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में निहित प्राविधानों एवं उप०प्र०पा०का०लि० लखनऊ के दिशा निर्देशों तथा समय-समय पर उनके संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राक्कलन उप०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या 15/उ०म०प्र० (टैक्स)/जी०एस०टी० सेल/2019 दिनांक 09.04.2019 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रबन्ध निदेशक, उप०प्र०पा०का०लि०, लखनऊ के आदेश सं० 1033-कार्य/चौदह-पाकालि/2020-138-के/2011 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे।

1
(बी०एल० मौर्य)
मुख्य अभियन्ता (तक०)

पत्रांक : 3138 / प०वि०वि०नि०लि०/तक०/प्र.अनु.-5(नो)/(20) तददिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्त), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र-गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-प्रथम, गाजियाबाद।

(बी०एल० मौर्य)
मुख्य अभियन्ता (तक०)

सीसी:- निदेशक (तक०) महोदय, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।